

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
संकल्प

संख्या-5/आ04-107/2023- 1808

पटना, दिनांक- 19/9/26

श्री बिरेन्द्र कुमार, संवेदक द्वारा श्री सुजीत कुमार, तत० कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, विभूतिपुर, प्रमंडल-समस्तीपुर के विरुद्ध विपत्र पारित करने हेतु रिश्त मांगे जाने एवं अन्य आरोप लगाते हुए परिवाद समर्पित किया गया। प्राप्त परिवाद की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-654, दिनांक-21.06.2023 द्वारा उक्त परिवाद की जाँच करते हुए जाँच प्रतिवेदन की मांग अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा से की गयी।

02. विभागीय निदेश के आलोक में अधीक्षण अभियंता, दरभंगा अंचल के पत्रांक-415, दिनांक-04.07.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-919, दिनांक-17.08.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन के अंतिम कंडिका यथा एजेन्सी को एकरारनामा के General Condition of Contract के अनुरूप प्रमंडल में एकरारनामा का विपत्र जमा करने तथा कार्यपालक अभियंता को कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता का एक टीम गठित कर संवेदक की उपस्थिति में मापी का सत्यापन कराने के प्रस्ताव पर अनुपालन प्रतिवेदन की मांग अधीक्षण अभियंता, दरभंगा अंचल से की गयी।

03. उक्त के आलोक में अधीक्षण अभियंता, दरभंगा अंचल के पत्रांक-995, दिनांक-11.12.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुपालन प्रतिवेदन में SBD No.-383/2019-20 से संबंधित विपत्र के भुगतान संबंधी विवाद को मुख्य कारण मानते हुए उक्त से संबंधित योजनाओं की जाँच सहायक अभियंता की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति से करायी गयी एवं उक्त आधार पर प्रतिवेदन में यह अवधारित किया गया कि संवेदक को सम्पादित कार्य से अधिक का भुगतान किया गया। अधीक्षण अभियंता द्वारा सरकारी राशि के दुरुपयोग हेतु संबंधित अभियंता एवं संवेदक के उपर अग्रेतर कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित हुआ कि मापी-पुस्त के अनुसार कुल 8390 मीटर HDPE पाईप बिछायी गयी थी, जबकि स्थलीय निरीक्षण में कुल 7595 मीटर पाईप ही बिछाया गया। इससे स्पष्ट है कि 795 मीटर का अधिकाय भुगतान संवेदक को किया गया। दूसरी ओर मापी-पुस्त के अनुसार वार्ड संख्या-04, 05, 09 एवं 10 में कुल 673 घरों में गृह जल संयोजन किया गया था, परन्तु स्थलीय निरीक्षण में मात्र 324 घरों में गृह जल संयोजन पाया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में लगभग 65 गृह जल संयोजन क्षतिग्रस्त अवस्था में पाये जाने का जिक्र किया गया।

04. प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त संवेदक को अधिकाय भुगतान करने हेतु विभागीय पत्रांक-158, दिनांक-16.01.2025 द्वारा श्री सुजीत कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, विभुतिपुर, प्रमंडल-समस्तीपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सोनवर्षा, सहरसा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार के पत्रांक-221, दिनांक-30.12.2025 द्वारा साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त उनके द्वारा विभाग को दिग्भ्रमित करने के दृष्टिगत उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य करार दिया गया।

05. श्री कुमार का उपर्युक्त कृत्य बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, बिहार वित्त नियमावली में वर्णित नियम, विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/संकल्पों एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii) एवं 3(1)(iii) का उल्लंघन है। जिसके आलोक में श्री कुमार के विरुद्ध अभिकथित आरोप के आलोक में उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-1413, दिनांक-13.07.2026 द्वारा एक पक्ष के अन्दर उनसे बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

06. विभागीय निदेश के आलोक में 02 माह के उपरांत भी श्री कुमार द्वारा गठित आरोप पत्र के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित नहीं करने की दशा में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया है।

07. एतदर्थ बिहार के राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार के राज्यपाल श्री मनोज मनोहर, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, समस्तीपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

08. आरोपित पदाधिकारी श्री कुमार संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

09. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप पत्र (अनुलग्नक सहित) के साथ जॉच रांचालन पदाधिकारी श्री मनोज मनोहर, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, समस्तीपुर एवं आरोपित पदाधिकारी श्री सुजीत कुमार, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सोनवर्षा, सहरसा को दी जाय।

10. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव

ज्ञापांक-5/आ04-107/2023-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र(अनुलग्नक सहित) के साथ जॉच संचालन पदाधिकारी श्री मनोज मनोहर, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, समस्तीपुर एवं आरोपित पदाधिकारी श्री सुजीत कुमार, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सोनवर्षा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव

ज्ञापांक-5/आ04-107/2023-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव

संख्या-5/आ04-107/2023- 1808

पटना, दिनांक- 19/9/26

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ/अधीक्षण अभियंता, सहरसा अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सहरसा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/आई०टी०मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Handwritten signature)
18/09/2026

(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव

(Handwritten signature)
18/9/26